न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

ासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
पत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.
रण संख्याः- 418/2025

1 गुरदीप सिंह पुत्र बगड़ सिंह बउम्र 24 वर्ष जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 दलवीर सिंह पुत्र बगड़ सिंह बउम्र 23 वर्ष जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद 7060149 स्ट्रीट बीसीवी 351 के 1 कनाड़ा जरिये मुखत्यारआम बगड़ सिंह जाति जटसिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 गुरमीत कौर पत्नी बगड़ सिंह बउम्र 47 वर्ष जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 गुरजंट सिंह पुत्र रणजीत सिंह बउम्र 38 वर्ष जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 छैम्बर सिंह पुत्र रणजीत सिंह उम्र 35 वर्ष जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 रमनदीप कौर पत्नी छैम्बर सिंह उम्र 32 वर्ष जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7 गुरजोत सिंह पुत्र स्व.जसवीर सिंह उम्र 34 वर्ष जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8 गुरवीर सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-:वादीगण

बनाम्

1 मल सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 बगड़ सिंह पुत्र मल सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 जसप्रीत कौर पुत्री बगड़ सिंह पत्नी दलवीर सिंह जाति जट सिखा निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4 बिन्दर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़ जरिए वाद मित्र मल सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 सुखजीत कौर पुत्री मल सिंह पत्नी जगसीर सिंह जाति जट सिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 बलवंत कौर पत्नी स्व.मलकीत सिंह जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7 सर्वजीत कौर पत्नी स्व.जसवीर सिंह जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8 गगनदीप कौर पुत्री जसवीर सिंह पत्नी ईश्वर सिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9 बलकरण सिंह पुत्र स्व.मलकीत सिंह जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10 राजवीर कौर पुत्री बलकरण सिंह जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11 सुखप्रीत कौर पुत्री स्व.मलकीत सिंह पत्नी सुखपाल सिंह जाति जट सिख निवासी मसीतां तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

12 सुखदीप कौर पुत्री स्व.मलकीत सिंह पत्नी मुखराज सिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13 रणजीत सिंह पुत्र स्व.चन्द सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
14 राजविन्द्र कौर उर्फ शैलेन्द्र कौर पुत्री रणजीत सिंह पत्नी धर्मेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
15 कुलविन्द्र कौर पुत्री रणजीत सिंह पत्नी कृष्ण सिंह जाति जट सिख निवासी लबाना चक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
16 गुरप्रीत कौर उर्फ मूर्ति पुत्री स्व.जीता सिंह पत्नी इकबाल सिंह जाति जट सिख निवासी मसीता तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
17 दीपकौर उर्फ दलीप कौर पुत्री चन्द सिंह पत्नी जगराज सिंह जाति जट सिखा निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
18 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
19 तहसीलदार (राजस्व), संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20 तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
21 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबंधक
22 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हनुमानगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक

-:प्रतिवादीगण

स्थित :-

1. श्री राजेशदीप राय - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री हरमनप्रीत सिंह - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 17
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 18, 19, 20

-:<u>निर्णय</u>:-

दिनांक 05.01.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी धेनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता ' परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादी संख्या 4 बिन्द्र सिंह जन्म से ही विकृचित व्यक्ति है ा उसे सुनाई नहीं देता व ना ही उसे किसी प्रकार की समझ है इसलिए उसके पिता प्रतिवादी संख्या 1 न सिंह को वादमित्र बनाया गया है। वाद पत्र की नोईयत को समझने के लिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण ख्या 1 ता 17 का सजरा खानदान वादपत्र अंकित है।

यह कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 6 एम.डी.बी. के खाता संख्या 22/19 के पत्थर नम्बर 73/315 (3) किला नम्बर 16 ता 20, 21/2/.228, 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.228, 5/2/.228 कुल 2.405 हैक्टेयर कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 6 एम.डी.ए. के खाता संख्या 3/12 के पत्थर नम्बर 170/320 (9) किला नम्बर 7 ता 15 तादादी 2.277 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 71/317 (1) किला नम्बर 1 ता 20, 21/2/.228, 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.228, 5/2/.228 तादादी 6.200 हैक्टेयर कुल तादादी 8.477 हैक्टेयर कृषि भूमि व तहसील टिब्बी के चक 2 ा.डी. के खाता संख्या 42/37 के पत्थर नम्बर 172/317 (5) किला नम्बर 1 ता 13 तादादी 3.289 क्टेयर कृषि भूमि वादीगण संख्या 1, 2, 4, 5, 7 व 8 के पड़दादा व वादीगण संख्या 3 व 6 के दादा पुर चन्द सिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसके अलावा तहसील संगरिया के चक 8 एम.जे.डी. सील संगरिया के खाता संख्या 104/31 के पत्थर नम्बर 150/182 (30) किला नम्बर 21, 22/3/. 34, पत्थर नम्बर 150/184 (42) किला नम्बर 24, 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 51/184 (41) किला नम्बर 21, पत्थर नम्बर 151/185 (48) किला नम्बर 1/1/.240, 1/2/.013, 2/.013, पत्थर नम्बर 152/180 (16) किला नम्बर 12/1/.089, 19, 21/3/.050, 22 तादादी 2. 97 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या-13 रणजीत सिंह के नाम व इसी चक 8 एम.जे.डी. तहसील

गरिया के खाता संख्या 94/75 के पत्थर नम्बर 150/182 (30) किला नम्बर 22/1/.085, पत्थर म्बर 150/184 (42) किला नम्बर 16/1/.228, 16/2/.025, पत्थर नम्बर 151/184 (41) किला म्बर 17 ता 20, पत्थर नम्बर 152/180 (16) किला नम्बर 10/1/.089, 11, 20, 21/2/.051 दादी 1.996 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जमाबंदी ाता संख्या चक 6 एम.डी.बी. के खाता संख्या 22/19, चक 6 एम.डी.ए. के खाता संख्या 13/12, चक एम.डी. के खाता संख्या 42/37, चक 8 एम.जे.डी. तहसील संगरिया के खाता संख्या 104/31, चक एम.जे.डी. तहसील संगरिया के खाता संख्या 94/75 संलग्न है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या-3 में वर्णित कुल तादादी 18.174 हैक्टेयर कृषि भूमि चन्द सिंह कृषि भूमि है। चन्द सिंह फौत हो चुका है। चन्द सिंह के चार पुत्र क्रमशः मल सिंह, मलकीत सिंह, जीत सिंह व जीता सिंह व एक पुत्री दीप कौर उर्फ दलीप कौर हुए। चन्द सिंह ने अपने जीवनकाल में पनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से अपने पुत्रगण मल सिंह, मलकीत सिंह, रणजीत सिंह व जीता सिंह के में रोबरू गवाहान एक वसीयत निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्व करवाई। उक्त वसीयत जीता सिंह की पुत्री गुरप्रीत कौर उर्फ मूर्ति ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, हनुमानगढ़ के मक्ष चुनौती दी जो बाद में गुरप्रीत कौर उर्फ मूर्ति देवी ने वाद पत्र खारिज करवा लिया। प्रतिवादी ख्या-2 बगड सिंह ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 254/2012 (301/2016) नवानी ''बगड़ सिंह बनाम चन्द सिंह'' प्रस्तुत किया। उक्त राजस्व वाद संख्या 301/2016 में पक्षकारों मध्य राजीनामा हुआ। उक्त राजीनामा में उपरोक्त समस्त कृषि भूमि में माननीय न्यायालय ने दिनांक .09.2016 को मलकीत सिंह, मल सिंह व रणजीत सिंह तीनों के पक्ष में बहिस्सा बराबर अर्थात 3-1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्व गुरप्रीत कौर उर्फ मूर्ति कौर ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष राजस्व अपील संख्या /3/2017 प्रस्तुत की। माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 23.12.2019 को गुरप्रीत कौर उर्फ र्ति कौर की उक्त अपील खारिज कर दी। निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2016 व राजस्व अपील धेकारी का निर्णय दिनांक 23.12.2019 संलग्न वाद पत्र है।

यह कि उक्त निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात् मल सिंह, रणजीत सिंह व मलकीत सिंह का प्रीत कौर उर्फ मूर्ति के साथ राजीनामा हुआ तथा तीनों भाईयों ने गुरप्रीत कौर उर्फ मूर्ति कौर को रोक्त कृषि भूमि में राजीनामा के तहत चक 6 एमडीबी के पत्थर नम्बर 173/315 किला नम्बर 16, ', 24, 25 दिये गये व शेष भूमि तीनों भाईयों ने निम्नलिखित अनुसार घराघरू विभाजन किया :-

<u>मल सिंह को घराघरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि</u> :-

चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 170/320 (9) के किला नम्बर 11 ता 14, 15/.127 (दक्षिणी ओर), पत्थर नम्बर 171/317 (1) किला नम्बर 2 ता 5, 6, 8, 9, 12, 13/.114 (उत्तरी ओर), 15, 16/.228, 19, 22, चक 6 एमडीबी के पत्थर नम्बर 173/315 (3) के किला नम्बर 18, 19/.126 (पूर्वी ओर), 22/.127 (पूर्वी ओर), 23 तथा तहसील टिब्बी के चक 2 एमडी पत्थर नम्बर 172/317 (5) किला नम्बर 1 ता 5, 9/.126 (उत्तरी ओर), 10 कुल तादादी 6.668 हैक्टेयर अर्थात 26 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त हुई।

<u>रणजीत सिंह को घराघरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि</u> :-

चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 170/320 (9) किला नम्बर 7 ता 10, 15/.126 (उत्तरी ओर), पत्थर नम्बर 171/317 (1) किला नम्बर 1, 7, 10, 11, 13/.139 (दक्षिणी ओर), 14, 16/. 025 (दक्षिणी ओर), 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, चक 6 एमडीबी के पत्थर नम्बर 173/315 (3) के किला नम्बर 19/.127 (पश्चिमी ओर), 20, 21, 22/.126 (पश्चिमी ओर) तथा तहसील टिब्बी के चक 2 एमडी के पत्थर नम्बर 172/317 (5) किला नम्बर 6, 7, 8, 9/. 127 (दक्षिणी ओर), 11, 12, 13 कुल तादादी 6.742 हैक्टेयर अर्थात 26 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त हुई।

<u>मलकीत सिंह को घराघरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि</u> :-

कलक्टर
जिला अधिकारी

चक 8 एमजेडी तहसील संगरिया के पत्थर नम्बर 150/182 (30) किला नम्बर 21, 22/1/.085, 22/3/.084, पत्थर नम्बर 150/184 (42) किला नम्बर 16/1/.228, 16/2/.025, 24, 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 151/184 (41) किला नम्बर 18 ता 21, पत्थर नम्बर 152/180 (16) किला नम्बर 10/1/.089, 11, 12/1/.089, 19, 20, 21/2/.051, 21/3/.050, 22, पत्थर नम्बर 151/185 (48) किला नम्बर 1/1/.240, 1/2/.013, 2/2/.013 कुल 4.003 हैक्टेयर 15 बीघा 16) बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त हुई।

यह कि प्रतिवादी संख्या-17 ने पूर्व में ही अपना हक व हिस्सा मौखिक रूप से तर्क कर दिया था ा माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.09.2016 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। तीनों भाईयों के य घराघरू विभाजन होने के पश्चात् मौके पर लागू हो गया तथा पक्षकारान इसी अनुसार काबिज हो ो। तत्पश्चात् मल सिंह, रणजीत सिंह, मलकीत सिंह का उनके वारिसान के मध्य उपरोक्त घराघरू वारा में प्राप्त भूमि के अनुसार आपसी घराघरू विभाजन हो गया तथा उक्त घराघरू विभाजन में मल ह की पुत्री प्रतिवादी संख्या-5 सुखजीत कौर ने अपना हक व हिस्सा मौखिक रूप से अपने भाईयों व पने पिता के पक्ष में छोड़ दिया व प्रतिवादी संख्या-4 बिन्दर सिंह जन्मतः ही विकृतचित व्यक्ति है तथा न सिंह के पास अन्य ओर कृषि भूमि है तथा मल सिंह ने बिन्दर सिंह को अपनी अन्य भूमि दी है। तेवादी संख्या-3 ने भी अपना हक व हिस्सा वादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क र दिया व प्रतिवादी संख्या-2 बगड सिंह ने अपना हक व हिस्सा 4 बीघा 10 बिस्वा वादिया संख्या-3 पनी पत्नी को दे दिया। इस प्रकार वादीगण संख्या 1 ता 3 को निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्त हुई :-

<u>वादिया संख्या 3 को प्राप्त कृषि भूमि</u> :-

चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 170/320 (9) के किला नम्बर 11 ता 14, 15/.127 (दक्षिणी ओर) कुल 1.138 हैक्टेयर अर्थात 4 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि।

) <u>वादीगण संख्या 1 व 2 को प्राप्त कृषि भूमि</u> :-

चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 171/317 (1) किला नम्बर 2 ता 5, 6, 8, 9, 12, 13/.114 (उत्तरी ओर), 15, 16/.228, 19, 22, चक 6 एमडीबी के पत्थर नम्बर 173/315 (3) के किला नम्बर 18, 19/.126 (पूर्वी ओर), 22/.127 (पूर्वी ओर), 23 तथा तहसील टिब्बी के चक 2 एमडी पत्थर नम्बर 172/317 (5) किला नम्बर 1 ता 5, 9/.126 (उत्तरी ओर), 10 कुल तादादी 5.530 हैक्टेयर अर्थात 21 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त हुई।

यह कि रणजीत सिंह को घरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि में आपसी घराघरू विभाजन में तेवादी संख्या 14 व 15 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण संख्या 4 व 5 के पक्ष में मौखिक रूप से र्क कर दिया। इस प्रकार रणजीत सिंह को प्राप्त घरू विभाजन में कुल 6.742 हैक्टेयर कृषि भूमि में तेवादी संख्या-13 को 0.506 हैक्टेयर व शेष भूमि वादीगण संख्या 4 व 5 को बहिस्सा बराबर प्राप्त ई व वादीगण संख्या 4 व 5 ने आपसी घरू विभाजन कर प्रतिवादी संख्या-5 ने अपने 1/2 हिस्सा में 1.138 हैक्टेयर कृषि भूमि वादिया संख्या-6 अपनी पत्नी को देना तय किया। वादीगण संख्या 4 ता व प्रतिवादी संख्या-13 को प्राप्त कृषि भूमि निम्नलिखित है :-

) <u>वादी संख्या 4 को प्राप्त कृषि भूमि</u> :-

चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 171/317 (1) किला नम्बर 1, 7, 10, 11, 13/.139 (दक्षिणी ओर), 14/.007, 18, 20, 21, पत्थर नम्बर 172/317 (5) किला नम्बर 12/.208, 13, चक 6 एमडीबी के पत्थर नम्बर 173/315 (3) के किला नम्बर 19/.127 (पश्चिमी ओर), 20, 21, 22/.126 (पश्चिमी ओर) कुल तादादी 3.137 हैक्टेयर कृषि भूमि।

) <u>वादी संख्या 5 को प्राप्त कृषि भूमि</u> :-

चक 2 एमडी के पत्थर नम्बर 172/317 (5) किला नम्बर 6, 7, 8, 9/.127 (दक्षिणी ओर), 11, 12/.045, चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 171/317 (1) किला नम्बर 14/.246 (दक्षिणी ओर), 16/.025 (दक्षिणी ओर) 17, 25 कुल तादादी 2.214 हैक्टेयर अर्थात 8 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि।

) <u>वादी संख्या 6 को प्राप्त कृषि भूमि</u> :-

चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 170/320 (9) किला नम्बर 7 ता 10, 15/.126 (उत्तरी ओर) 1.138 हैक्टेयर कृषि भूमि।

प्रतिवादी संख्या-13 को प्राप्त कृषि भूमि :-

चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 171/317 (1) किला नम्बर 23, 24 तादादी .506 हैक्टेयर अर्थात 2 बीघा कृषि भूमि।

यह कि वादीगण संख्या 7 व 8 के दादा मलकीत सिंह फौत हो चुके हैं तथा मलकीत सिंह के होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 6, 10 व 11 ने अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या-9 व ोर सिंह के पक्ष में मौखिक रूप से छोड़ दिया। जसवीर सिंह भी फौत हो चुका है जिसके जायज व ी वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 तथा वादी संख्या-7 है। प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 ने ा हक व हिस्सा वादी संख्या-7 के पक्ष में छोड दिया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या-9 बलकरण व उसकी पुत्री प्रतिवादी संख्या-10 ने अपना हक व हिस्सा वादी संख्या-8 के पक्ष में छोड़ दिया है। प्रकार वादीगण संख्या 7 व 8 को प्राप्त भूमि निम्नलिखित है :-

वादीगण संख्या 7 व 8 को बहिस्सा बराबर प्राप्त कृषि भूमि :-

चक 8 एमजेडी तहसील संगरिया के पत्थर नम्बर 150/182 (30) किला नम्बर 21, 22/1/. 085, 22/3/.084, पत्थर नम्बर 150/184 (42) किला नम्बर 16/1/.228, 16/2/.025, 24, 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 151/184 (41) किला नम्बर 18 ता 21, पत्थर नम्बर 152/180 (16) किला नम्बर 10/1/.089, 11, 12/1/.089, 19, 20, 21/2/.051, 21/3/. 050, 22, पत्थर नम्बर 151/185 (48) किला नम्बर 1/1/.240, 1/2/.013, 2/2/.013 कुल 4.003 हैक्टेयर 15 बीघा 16) बिस्वा कृषि भूमि में वादीगण संख्या 7 व 8 प्रत्येक का 1/2-1/2 हिस्सा।

यह कि उक्त घराघरू बंट्वारा अच्छी मंदी की लिहाज से हुआ जो मौका पर लागू हो गया और अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज चले आ रहे हैं तथा उक्त घराघरू बंट्वारा में वादिया संख्या-3 प्राप्त चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 170/320 के किला नम्बर 12 में पूर्वी ओर उत्तर से दक्षिण बिस्वा व किला नम्बर 13 में पश्चिम ओर उत्तर से दक्षिण 1 बिस्वा अर्थात कुल 2 बिस्वा भूमि या संख्या-6 को अपनी कृषि भूमि पत्थर नम्बर 170/320 के किला नम्बर 7 ता 10 में आवागमन ाड़ के लिए छोड़ी व इसी प्रकार वादिया संख्या-6 ने पत्थर नम्बर 170/320 के किला नम्बर 8 में ामी ओर उत्तर से दक्षिण 1 बिस्वा भूमि वादिया संख्या-3 के आवागमन हेतु छोड़ी व वादिया संख्या-3 त्थर नम्बर 170/320 के किला नम्बर 14 में उत्तरी पूर्वी कोना पर 16) गुणा 16) फुट भूमि या संख्या-6 को पत्थर नम्बर 170/320 के किला नम्बर 15 में आवागमन हेतु छोड़ी है व इसके वा चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 171/317 के किला नम्बर 21 ता 25 में दक्षिण ओर 1-1 ा भूमि आड के लिए छोड़ी गई व इसी पत्थर नम्बर 171/317 के किला नम्बर 15 के पूर्वी दक्षिणी ा व किला नम्बर 16, 25 के पूर्वी ओर आड व आवागमन हेतु जगह छोड़ी गई जो मौके पर चल रही है तथा यह भी तय हुआ कि उक्त आड़ व आवागमन को कोई भी पक्षकार भविष्य में बन्द नहीं ा।

कि उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण के अधिकारों धुन्ध छा गई है तथा उन्हें राजकीय सुविधा व भूमि सुधार के कार्य करने में भारी असुविधा हो रही है। परिस्थितियों में वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी व दार हैं कि वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 6, 7 व 8 में दर्ज अनुसार कृषि भूमि को राजस्व लेख में अपने नाम अमलदरामद करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं।

यह कि वादीगण ने अर्सा गत् सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वाद पत्र की चरण या 6, 7 व 8 में दर्ज अनुसार कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाने में सहमति दे देंवे तो वे इन्कार गये, यही बिनाय दावा है।

यह कि प्रश्नगत भूमि के भू-धारक प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20 है, इस कारण प्रतिवादीगण 18 ता 20 आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

यह कि वाद-पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा व खाता विभाजन हेतु है। प्रश्नगत भूमि माननीय य के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार जो 3/- रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद-पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावेः-

कि घोषणा फरमायी जावे कि वादीगण व प्रतिवादिया संख्या-13 वाद पत्र की चरण संख्या 6, 7 व 8 में दर्ज अनुसार कृषि भूमि को राजस्व अभिलेख में अपने नाम अमलदरामद करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं।

कि मुताबिक घोषणा वादीगण एव प्रतिवादिया संख्या-13 का खाता अलग किया जाकर रकमराज अलग से कायम फरमाई जावे।

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं 3 ओर से अधिवक्ता धीर सिंह बराड़ व प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 16 की ओर से अधिवक्ता श्री नप्रीत सिंह उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 16 ने दावा में राजीनामा पेश कर बेक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 17 द्वारा इकबाल दावा पेश कर बेक दावा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी सं. 4 जरिये वाद मित्र प्रतिवादी सं. उपस्थित। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत मोरजण्ड सिखान जारी वारिस प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र जीतासिंह/चंदसिंह, मलकीत/चंदसिंह वकील वादी ने पेश ा। जसवीर सिंह पुत्र मलकीत सिंह का मृत्यु होने व वारिस होने का शपथ पत्र मिकर गुरजोत सिंह जसवीर सिंह ने पेश किया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। वली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक नामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, गण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-ःक्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा के घोषणा की जाती है किः- **गण संख्या 1 व 2 क्रमशः गुरदीप सिंह व दलवीर सिंहः-** चक 6 एमडी ए के पत्थर नम्बर 1/317 (1) किला नम्बर 2 ता 5, 6, 8, 9, 12, 13/.114 (उत्तरी ओर), 15, 16/.228, 19, , चक 6 एमडीबी के पत्थर नम्बर 173/315 (3) के किला नम्बर 18, 19/.126 (पूर्वी ओर), 22/. 7 (पूर्वी ओर), 23 तथा तहसील टिब्बी के चक 2 एमडी पत्थर नम्बर 172/317 (5) किला नम्बर 1 5, 9/.126 (उत्तरी ओर), 10 कुल तादादी 5.530 हैक्टेयर अर्थात 21 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि **वादिया संख्या 3 गुरमीत कौर** चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 170/320 (9) के किला नम्बर 11 14, 15/.127 (दक्षिणी ओर) कुल 1.138 हैक्टेयर अर्थात 4 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि को, **वादी या 4 गुरजंट सिंह** चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 171/317 (1) किला नम्बर 1, 7, 10, 11, /.139 (दक्षिणी ओर), 14/.007, 18, 20, 21, पत्थर नम्बर 172/317 (5) किला नम्बर 12/. 8, 13, चक 6 एमडीबी के पत्थर नम्बर 173/315 (3) के किला नम्बर 19/.127 (पश्चिमी ओर), , 21, 22/.126 (पश्चिमी ओर) कुल तादादी 3.137 हैक्टेयर कृषि भूमि, **वादी संख्या 5 छैम्बर सिंह** 2 एमडी के पत्थर नम्बर 172/317 (5) किला नम्बर 6, 7, 8, 9/.127 (दक्षिणी ओर), 11, /.045, चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 171/317 (1) किला नम्बर 14/.246 (दक्षिणी ओर), 16/. 5 (दक्षिणी ओर) 17, 25 कुल तादादी 1.961 हैक्टेयर अर्थात 7 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि को, **ी संख्या 6 रमनदीप कौर** चक 6 एमडीए के पत्थर नम्बर 170/320 (9) किला नम्बर 7 ता 10, /.126 (उत्तरी ओर) 1.138 हैक्टेयर कृषि भूमि, **वादीगण संख्या 7 व 8 गुरजोत सिंह व गुरवीर सिंह बहिस्सा बराबर** चक 8 एमजेडी तहसील संगरिया के पत्थर नम्बर 150/182 (30) किला नम्बर 21, 2/1/.085, 22/3/.084, पत्थर नम्बर 150/184 (42) किला नम्बर 16/1/.228, 16/2/.025, 24, 5/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 151/184 (41) किला नम्बर 18 ता 21, पत्थर नम्बर

कलक्टर खण्डाधिकारी

2/180 (16) किला नम्बर 10/1/.089, 11, 12/1/.089, 19, 20, 21/2/.051, 21/3/.050, , पत्थर नम्बर 151/185 (48) किला नम्बर 1/1/.240, 1/2/.013, 2/2/.013 कुल 4.003 यर 15 बीघा 16.5 बिस्वा कृषि भूमि को तथा **प्रतिवादी संख्या 13 रणजीत सिंह** चक 6 एमडीए के र नम्बर 171/317 (1) किला नम्बर 23, 24 तादादी .506 हैक्टेयर अर्थात 2 बीघा कृषि भूमि व **वादी संख्या–16 गुरप्रीत कौर उर्फ मूर्ति** चक 6 एमडीबी के पत्थर नम्बर 173/315 किला नम्बर 16, , 24, 25 तादादी 1.012 हैक्टेयर। इसी अनुसार घोषणा की जाकर खाता अलग अलग व रकमराज ग कायमी के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ/संगरिया/टिब्बी आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा कारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया कर, सरे इजलास सुनाया गया।

:– रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ